


## कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

### :: संशोधन-आदेश ::

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 19.06.2019 के द्वारा श्री अशोक कुमार गुप्ता, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सिटी न. 12 टोंक को निजी विदेश बर्लिन (जर्मनी) की यात्रा पर दिनांक 25.06.2019 से 15.07.2019 तक (21 दिवस) जाने की अनुमति प्रदान की गई थी। श्री गुप्ता को उक्त अवधि का वीजा प्राप्त नहीं होने के कारण श्री गुप्ता के आवेदनानुसार इन्हें दिनांक 07.07.19 से 30.07.19 तक (24 दिवस) का वीजा प्राप्त हुआ है। अतः इस कार्यालय के उक्त आदेश में विदेश यात्रा अवधि दिनांक 25.06.2019 से 15.07.2019 तक (21 दिवस) के स्थान पर दिनांक 07.07.19 से 30.07.19 तक (24 दिवस) संशोधित कर पढ़ी जावे।

शेष शर्त मूल आदेशानुसार यथावत रहेगी।

  
संयुक्त निदेशक (कामिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

दिनांक- 19/7/19

क्रमांक-शिविरा-मा/संस्था/ए-2-7/विदेश यात्रा/2019

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।

2- संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग मुख्यालय, अजमेर।


3- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पदेन बीआरसीएफ, ब्लॉक-टोंक।

✓ 4- सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को आदेश विभाग की बेबसाईट पर अपलोड हेतु।

5- श्री अशोक कुमार गुप्ता, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सिटी न. 12 टोंक।

7- श्री अशोक कुमार गुप्ता, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सिटी न. 12 टोंक।

6- निजी/रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक (कामिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर